

# दिल्ली राजपत्र

## Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 65]	दिल्ली, बुधवार, फरवरी 22, 2017/फाल्गुन 3, 1938	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 374
No. 65]	DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 22, 2017/PHALGUNA 3, 1938	[N.C.T.D. No. 374

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 21 फरवरी, 2017

सं. फा. 4(47)/आरआर/एलबी/2017/1078-1086.—दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (1957 का 166) की धारा 480 की उपधारा (2) तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 19 अक्टूबर, 1966 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3159 के साथ पठित धारा 98 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श के पश्चात् तथा दिनांक 19 अप्रैल, 1982 की अधिसूचना सं० फा० 9/26/76-एलएसजी द्वारा अधिसूचित उप-शिक्षा अधिकारी के पद से संबंधित भर्ती विनियमों के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई बातों या हटाई जाने वाली बातों को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, उत्तर, दक्षिण तथा पूर्व दिल्ली नगर निगम में उप-निदेशक शिक्षा के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ.—(1) इन विनियमों को उप-निदेशक शिक्षा भर्ती विनियम, 2017 कहा जाये।  
(2) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं पे बैंड तथा ग्रेड पे/वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा पे बैंड तथा ग्रेड पे/उसके साथ संलग्न वेतनमान इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं इत्यादि.—उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

## 4. अयोग्यता.—कोई भी व्यक्ति

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है; या

(ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है,

वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :

उपबंध है कि सरकार यदि इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति या अन्य पार्टी पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत अनुमति योग्य है तथा ऐसा करने के अन्य आधार हैं तब किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रचालन से छूट प्रदान की जा सकती है।

5. छूट प्रदान करने की शक्ति.—जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श से तथा सरकार के पूर्व अनुमोदन से व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।

6. बचाव.—इस विनियम में कोई भी बात इस संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

## अनुसूची

1.	पदनाम	:	उप-निदेशक शिक्षा
2.	पदों की संख्या	:	* 20 (2017) (उत्तर, दिल्ली नगर निगम-9, दक्षिण, दिल्ली नगर निगम-7, पूर्व, दिल्ली नगर निगम-4) * इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	वर्गीकरण	:	वर्ग "क"
4.	पे बैंड एवं ग्रेड पे/वेतनमान	:	पी बी-3, 15600-39100/- रुपये + ग्रेड पे 7600/रुपये
5.	क्या चयन पद है या गैर चयन पद	:	चयन
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	:	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित आयु एवं शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	लागू नहीं
10.	भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा अल्पकालिक संविदा सहित।
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन किया जाना है	:	पदोन्नति: (i) ग्रेड में पाँच वर्ष की नियमित सेवा सहित पे बैंड-3, 15600-39100/- रुपये + ग्रेड पे 6600/- रुपये में

	<p>सहायक शिक्षा अधिकारी/सहायक निदेशक शिक्षा (सामान्य) के ग्रेड से 50 प्रतिशत।</p> <p>(ii) ग्रेड में पाँच वर्ष की नियमित सेवा सहित पे बैंड-3, 15600-39100/- रुपये + ग्रेड पे 6600/- रुपये में सहायक शिक्षा अधिकारी/सहायक निदेशक शिक्षा (शारीरिक) के ग्रेड से 30 प्रतिशत।</p> <p>(iii) ग्रेड में पाँच वर्ष की नियमित सेवा सहित पे बैंड-3, 15600-39100/- रुपये + ग्रेड पे 6600/- रुपये में सहायक शिक्षा अधिकारी/सहायक निदेशक शिक्षा (विज्ञान) के ग्रेड से 15 प्रतिशत।</p> <p>(iv) ग्रेड में पाँच वर्ष की नियमित सेवा सहित पे बैंड-3, 15600-39100/- रुपये + ग्रेड पे 6600/- रुपये में सहायक शिक्षा अधिकारी/सहायक निदेशक शिक्षा (नर्सरी) के ग्रेड से 05 प्रतिशत।</p> <p>टीप 1: जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय हैं। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परीवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक / पात्रता पहले ही पूरी कर ली है।</p> <p>टीप 2: पदोन्नति के लिये न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिये 01.01.2006 से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है। यह तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित लागू सम्बद्ध ग्रेड पे/वेतनमान में की गई सेवा मान ली जाएगी।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)</b></p> <p>केन्द्रीय/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/ स्वायत्त शिक्षा संस्थानों के निम्नलिखित अधिकारी:-</p> <p>क. (1) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा</p> <p>(2) पे बैंड-3, 15600-39,100 रु.+ग्रेड पे 6600/-रुपये के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरान्त ग्रेड में पाँच वर्ष की सेवा सहित अथवा मूल संवर्ग/विभाग में समकक्ष</p> <p>(ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएँ एवं अनुभव रखने वाले:</p> <p>(i) किसी विषय में मास्टर डिग्री।</p> <p>(ii) शिक्षा/शारीरिक शिक्षा/नर्सरी शिक्षा में स्नातक उपाधि।</p> <p>(iii) शिक्षा में सात वर्ष का अनुभव जिसमें से शिक्षा प्रशासन में दो वर्ष का अनुभव।</p>
--	---

		<p>टीप : भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी श्रृंखला में हैं वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे।</p> <p>केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टीप : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिये 01.01.2006 (जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है) से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा यह तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित लागू सम्बद्ध ग्रेड पे वेतनमान में की गई सेवा मान ली जाएगी। जहां पर पूर्व संशोधित एक से अधिक वेतनमानों का विलय साझे ग्रेड/वेतनमान सहित एक ग्रेड में किया जा चुका है, और जहां ये लाभ उस/उन पद/पदों के लिये ही विस्तारित हैं जिसके लिये यह ग्रेड पे/वेतनमान किसी प्रकार के अपग्रेडेशन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन (रिप्लेसमेंट) ग्रेड है।</p>
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	<p>“क” वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यक्ष/सदस्य संघ लोक सेवा आयोग — अध्यक्ष</li> <li>2. आयुक्त, उत्तर दिल्ली नगर निगम — सदस्य</li> <li>3. आयुक्त, दक्षिण दिल्ली नगर निगम — सदस्य</li> <li>4. आयुक्त, पूर्व दिल्ली नगर निगम — सदस्य</li> </ol>
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

पवन चौपड़ा, उप-निदेशक (स्थानीय निकाय)

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 21<sup>st</sup> February, 2017

No. F. 4(47)/RR/LB/2017/1078-1086.—In exercise of the powers conferred by section 98, read with sub-section, (2) of section 480 of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 (66 of 1957) and Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification Number S.O. 3159, dated the 19<sup>th</sup> October, 1966, and after consultation with Union Public Service Commission and in supersession of recruitment regulations relating to the post of Deputy Education Officer notified vide No. F.No. F.9/26/76-LSG, dated the 19<sup>th</sup> April, 1982 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following

recruitment regulations for regulating the method of recruitment to the post of Deputy Director of Education in North, South and East Delhi Municipal Corporations, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These Regulations may be called Deputy Director of Education Recruitment Regulations, 2017.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.
2. **Number of posts, classification and pay band and grade pay/scale of pay.**—The number of the said posts, their classification and pay band and grade pay/scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these regulations.
3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
4. **Disqualification.** —No person, -  
(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or  
(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that Government, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

5. **Power to relax.** —Where the Government of the National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons or posts.

6. **Saving.** —Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Government of India from time to time, in this regard.

#### SCHEDULE

Name of the post.	Number of Posts.	Classification.	Pay Band and Grade Pay / Pay Scale.	Whether selection post or non selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualification required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
Deputy Director of Education.	20* (2017) *Subject to variation on work load. (North DMC -9 South DMC-7 East DMC-4).	Category 'A'.	PB-3, Rs.15600-39100/- plus Grade Pay Rs. 7600/-.	Selection.	Not Applicable.	Not Applicable.

Whether age and Educational Qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of Probation, if any.	Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exist, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in marking recruitment.
8	9	10	11	12	13
Not Applicable.	Not Applicable.	By promotion failing which by deputation including short term contract.	<p><b>Promotion:</b></p> <p>(i) 50 % by from the grade of AEO/ Assistant Director of Education (General) in the PB - 3, Rs.15600 -39100/- plus Grade pay of Rs. 6600/- with five years regular service in the grade.</p> <p>(ii) 30% by from the grade of AEO/ Assistant Director of Education (Physical) in the PB-3, Rs. 15600-39100/- plus Grade Pay Rs.6600/- with five years regular service in the grade.</p> <p>(iii) 15% by from the grade of AEO/Assistant Director of Education (Science) in the PB-3, Rs.15600 -39100/- plus Grade Pay Rs.6600/- with five years regular service in the grade.</p> <p>(iv) 05% by from the grade of AEO/ Assistant Director of Education (Nursery) in the PB-3, Rs.15600 -39100/- plus Grade Pay Rs.6600/- with five years regular service in the grade.</p> <p><b>Note 1:</b> Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/ eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to</p>	<p><b>Group 'A' Departmental Promotion Committee consisting of :-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chairman/ Member, Union Public Service Commission - Chairman</li> <li>2. Commissioner, North Delhi Municipal Corporation - Member</li> <li>3. Commissioner, South Delhi Municipal Corporation - Member</li> <li>4. Commissioner, East Delhi Municipal Corporation - Member.</li> </ol>	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

			<p>the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.</p> <p><b>Note 2 :</b> For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January of 2006/ the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the pay commission.</p> <p><b>Deputation (ISTC) :</b>  <b>Officers under the Central/State Governments/ UTs/autonomous education institutions:-</b></p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre / department;  or  (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the Pay Band-3, Rs. 15600-39100/- plus Grade Pay of Rs. 6600/- or equivalent in the parent cadre / department;  and</p> <p>(b) Possessing the following educational qualification and experience:</p> <p>(i) Masters degree in any subject plus</p> <p>(ii) Graduate degree in Education / Physical Education / Nursery Education.</p> <p>(iii) Seven years experience in Education out of which two years experience in Education Administration.</p> <p><b>Note :</b> The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, Deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>(Period of deputation (ISTC) including period of deputation (ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications)</p> <p><b>NOTE:</b> For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January of 2006/ the date from which the revised pay structure based on the 6<sup>th</sup> CPC recommendations has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>		
--	--	--	---	--	--

By Order and in the Name of the Lt. Governor  
of the National Capital Territory of Delhi,

PAWAN CHOPRA, Dy. Director (Local Bodies)